न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 125/2012

वादीगण :-

1. नारायणलाल पुत्र जवानराम
   जाति - सरगरा
2. जसराज पुत्र चुनाराम
   जाति-प्रजापत (कुम्हार)
   निवासीगण - गरनिया
   तह0-जैतारण (जिला-पाली)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. मांगीलाल पुत्र भभूतराम
2. कानाराम पुत्र भभूतराम
3. गुदड़राम पुत्र जोगाराम
4. अपलाराम पुत्र जोगाराम
5. जीवनराम पुत्र मोतीराम
6. जगराम पुत्र हीराराम
7. जगदीश पुत्र किशनाराम
8. मांगीलाल पुत्र पूनाराम
9. किशनाराम पुत्र पूनाराम
   जातियान-सिरवी,निवासी-गरनिया
   तह0-जैतारण (जिला-पाली)
10. तहसीलदार, जैतारण
    तह0-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:-17/07/2012

उपस्थित:. 1. श्री राजेन्द्र गुर्जर, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री देवेन्द्रसिंह राठौड़, व श्रीमति संगीता व्यास अधिवक्तागण, प्रति0।

-:: निर्णय ::- दिनॉक:- 21/05/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-गरनिया, पटवार हल्का-गरनिया, तहसील-जैतारण में वादीगण का कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 145/1 रकबा 100-00 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। जिसका वादीगण व प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से मुजब उक्त कृषि भूमि का उपयोग एवं उपभोग शांतिपूर्वक करते आ रहे हैं। वादीगण संख्या 1 का दावें के पद संख्या 1 में वर्णित कुल भूमि में वादी 1/2 हिस्सा मौके पर आपसी बंटवाड़ा कर बंट किया हुआ हैं एवं वादी संख्या 2 का कुल भूमि में 1/10 हिस्सा मौके पर बंटवाड़ा कर बंट किया हुआ हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से मुजब मौके पर लगातार काश्त करते आ रहे हैं। वादीगण भविष्य में किसी प्रकार का कोई कृषि भूमि को लेकर किसी प्रकार का कोई टन्टा फसाद न हो, इस कारण से वादी उक्त भूमि का बंटवाड़ा करवाना चाहते हैं। जबकि मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपसी समझाईस से शांतिपूर्वक उक्त भूमि का बंटवाड़ा अपने हिस्से मुजब कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से पर लगातार काश्त कर रहे हैं। वादीगण ने अपने वाद के साथ उक्त भूमि का बंटवाड़े का नक्शा पेश किया जा रहा हैं। जिसमें वादीगण का हिस्सा लाल कलर से दर्शाया गया हैं, जिसमें वादीगण का नाम भी दर्ज हैं। प्रतिवादीगण अब वादीगण के साथ उक्त भूमि को लेकर टन्टा फसाद करने पर आमादा हैं। वादीगण ने सभी प्रतिवादीगण को शांतिपूर्वक उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में मौके की स्थिति अनुसार बंटवाड़ा करवाने हेतु प्रतिवादीगण को दिनांक 12/06/2012 को कहा, तब प्रतिवादीगण ईन्कार हो गये। इसलिए वादीगण को उक्त वाद बंटवाड़ा का श्रीमान् की सेवामें पेश किया जा रहा हैं। वादीगण उक्त बंटवाड़ा कानूनन भी करवाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण से झगड़ा फसाद कर वादीगण की जमीन हड़पना चाहते हैं एवं वादीगण को नुक्शान पहुँचाना चाहते हैं। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि का एवं अपनी कब्जासुदा भूमि का एक मात्र ही अपने हिस्से अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

खातेदार कश्तकार हैं। उक्त वर्णित खसरा नम्बर की भूमि का बंटवाड़ा करवाना चाहते हैं। ताकि अपनी कृषि भूमि को सुरक्षित रख सकें एवं अपनी भूमि की उन्नति हेतु एवं उसको सुधारने हेतु खाद मिट्टी डालकर उसको उपजाऊ बना सकें, इसलिए भी उक्त बंटवाड़ा करवाना जाना अति आवश्यक हैं। उक्त वर्णित खसरा नम्बर 145/1 कुल भूमि 100 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि में वादी संख्या 1 नारायणलाल का 1/2 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 जसराज का कुल भूमि में से 1/10 हिस्सा मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा बंटवाड़ा किया हुआ हैं, जो हिस्से मुजब हैं। उसी हिस्से मुजब कानूनन बंटवाड़ा कर एवं उक्त भूमि का तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी हैं। बिनायवाद दिनांक 12/06/2012 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को बंटवाड़ा करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा ईन्कार करने पर एवं बंटवाड़ा नहीं करने की धमकी देने पर बमुकाम-गरनिया में उत्पन्न हुआ। जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार में हैं एवं वादीगण का वाद अन्दर म्याद पेश किया हैं। इस प्रकार वकील मय वादीगण ने माफिक दावा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 7, 8 तथा 10 को बावजूद तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 एवं 9 ने एक तहरीरी राजीनामा दिनांक 19/12/12 को पेश किया, जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। राजीनामा में मौजा-गरनिया की खसरा नम्बर 145/1 रकबा 100-00 बीघा किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि में वादी नारायणलाल की 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार हैं व उक्त हिस्से पर मौके पर काबिज हैं, उक्त हिस्से मुजब बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर खाता व लगान अलग-अलग कर ट्रेस नक्शे में तरमीम किया जाता हैं तो सहखातेदार / प्रतिवादीगण को कोई आपति / एतराज / उज्र नहीं होना अंकित किया हैं तथा जरिए राजीनामा वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। वकील मय वादी जसराज ने अपने हिस्से का बंटवाड़ा विड्रो करके कोई रिलीफ नहीं चाही हैं तथा वादी का नारायणलाल पुत्र जवानराम सरगरा, साकिन-गरनिया के बंटवाड़ा का वाद डिक्री किये जाने में कोई आपति / एतराज नहीं होना अंकित हैं। हस्ब प्रार्थना पत्र वादी संख्या 2 जसराज की बंटवाड़ा ईश्तदुआ जरिए विड्रोवल खारिज की जाती हैं।

बहस वकुलाय उपस्थित। वकील वादी संख्या 1 ने बहस के दौरान हस्ब राजीनामा एवं माफिक राजस्व रिकॉर्ड बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जिसके जबाब बहस में वकील में वकील प्रतिवादीगण ने अपनी स्वीकारोक्ति व्यक्त कर राजीनामा व वाद के तथ्यों को संपुष्ट किया हैं। लिहाजा वादी का वाद जरिए राजीनामा प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाना तथा वादी संख्या 1 की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजीनामा एवं राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-गरनिया, पटवार हल्का-गरनिया, तहसील-जैतारण में वादीगण का कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 145/1 रकबा 100-00 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया गया। न्यायालय हाजा पत्रांक/कोर्ट/2014/920 दिनांक 10/10/2014 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने पत्रांक /राजस्व/14/1744 दिनांक 21/10/2014 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

पत्रावली आज आयोजित राजस्व लोक अदालत शिविर-अटल सेवा केन्द्र - गरनिया में पेश हुई। बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। वकील मय प्रतिवादीगण ने भी माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की अर्थात् सहमति व्यक्त की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 21/05/2015 वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 21/05/2015 अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-गरनिया, पटवार हल्का-गरनिया, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 145/1 रकबा 100-00 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि में वादीगण की भूमि का पक्षकारों में बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांरी	किस्म	लगान
1	मांगीलाल कानाराम पि0 भबूतराम, गुदड़राम अपलाराम पि0 जोगाराम, जीवनराम पुत्र मोतीराम सीरवी, जसराज पुत्र चुनाराम कौम-प्रजापत (कुम्हार) जगाराम पुत्र हीराराम जगदीश पुत्र किशना जगदीश ना.बा. के वली पिता खुद किशनाराम, मांगीलाल पुत्र ना0बा0 के वली पिता खुद पुनाराम कौम-सीरवी सा0 देह खातेदार।	145/1 145/4	25-00-00 25-00-00	बा0दो0 बा0दो0	7.81 रू.
	योग	2	50-00-00	बा0दो0	7.81 रू.
2	नारायणलाल पुत्र जवानराम कौम-सरगरा सा0 देह खातेदार। रहन-एस.बी.बी.एण्ड जे. शाखा-जैतारण	145/5	50-00-00	बा0दो0	15.63 रू.

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। अन्तिम डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को अंतिम डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 21.05.2015 को आयोजित राजस्व लोक अदालत शिविर-अटल सेवा केन्द्र - गरनिया में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रुल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादीगण :–

1. नारायणलाल पुत्र जवानराम
   जाति – सरगरा
2. जसराज पुत्र चुनाराम
   जाति–प्रजापत (कुम्हार)
   निवासीगण – गरनिया
   तह0–जैतारण (जिला–पाली)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मांगीलाल पुत्र भभूतराम
2. कानाराम पुत्र भभूतराम
3. गुदड़राम पुत्र जोगाराम
4. अपलाराम पुत्र जोगाराम
5. जीवनराम पुत्र मोतीराम
6. जगराम पुत्र हीराराम
7. जगदीश पुत्र किशनाराम
8. मांगीलाल पुत्र पूनाराम
9. किशनाराम पुत्र पूनाराम

जातियान–सिरवी,निवासी–गरनिया
तह0–जैतारण (जिला–पाली)

10. तहसीलदार, जैतारण
    तह0–जैतारण (जिला–पाली)

<u>राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u> मु0न0 :रा0वा0 स0:125/2012

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....–........ व हाजरी श्री राजेन्द्र गुर्जर, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री देवेन्द्रसिंह राठैड़, व श्रीमति संगीता व्यास अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 21/05/2015 अंतिम डिक्री वहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–गरनिया, पट्वार हल्का–गरनिया, तहसील–जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 145/1 रकबा 100–00 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि में वादीगण की भूमि का पक्षकारों में बँट्वाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा विस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	मांगीलाल कानाराम पि0 भबूतराम, गुदड़राम अपलाराम पि0 जोगाराम, जीवनराम पुत्र मोतीराम सीरवी, जसराज पुत्र चुनाराम कौम–प्रजापत (कुम्हार) जगाराम पुत्र हीराराम जगदीश पुत्र किशना जगदीश ना.बा. के वली पिता खुद किशनाराम, मांगीलाल पुत्र ना0बा0 के वली पिता खुद पुनाराम कौम–सीरवी सा0 देह खातेदार।	145/1 145/4	25-00-00 25-00-00	बा0दो0 बा0दो0	7.81 रू.
	योग	2	50-00-00	बा0दो0	7.81 रू.
2	नारायणलाल पुत्र जवानराम कौम–सरगरा सा0 देह खातेदार। रहन–एस.बी.बी.एण्ड जे. शाखा–जैतारण	145/5	50-00-00	बा0दो0	15.63 रू.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

तदानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को अंतिम डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शरह ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 21/05/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (पाली)
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2=00	स्टाम्प वकालतनामा	1=00
स्टाम्प वकालतनामा	1=00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	2=00	महनताना वकील	
महनताना वकील	—	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	6=00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	—	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	—	गुत्फरिक	
मिजानः–	11=00	मिजानः–	1=00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner